केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 217 शनिवार 28 फरवरी 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

25 लाख की चोरी: ग्रिल काटकर घुसे चोर

`–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । इंद्रा नगर वार्ड में एक बंद मकान से चोरों ने गुरुवार रात करीब 25 लाख रुपये के जेवर और नकदी चुरा ली। यह घटना गांधी नगर चौकी क्षेत्र में हुई, जिससे पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। मकान मालिक राजू खान अपनी मां के इलाज के लिए परिवार सहित लखनऊ गए हुए थे। इसी दौरान चोर छत पर चढ़े और लोहे की ग्रिल काटकर घर में घुस गए। उन्होंने घर में रखी लगभग 18 लाख रुपये की ज्वैलरी और शादी के लिए रखे करीब 7 लाख रुपये नकद चुरा लिए।

चोरों ने वारदात के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी काट कर अपने साथ ले गए। इससे पुलिस को साक्ष्य जुटाने में परेशानी हो रही है। शुक्रवार सुबह पड़ोसियों की सूचना पर चोरी का पता चला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीमों ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कोटेदार ने जहर खाकर जान दिया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रुधौली थाना क्षेत्र के मधावापुर गांव में एक 32 वर्षीय कोटेदार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि वह जमीन के नाम पर लाखों रुपये के लेन–देन और कथित उत्पीड़न से परेशान था। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर चार नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक के पिता बेचन प्रसाद ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे विजय प्रताप यादव का क्षेत्र के कुछ लोगों से रुपये का लेन–देन था। पचारी खुर्द निवासी अखिलेश यादव, अवधेश यादव और शिव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने आपसी साजिश कर जमीन दिलाने के नाम पर विजय प्रताप से तीन लाख रुपये, दो लाख सोलह हजार पांच सौ रुपये और बाद में रजिस्ट्री के लिए कुल सोलह लाख रुपये लिए थे। हालांकि, न तो जमीन दिलाई गई और न ही पैसे लौटाए गए।

तहरीर के अनुसार, जब विजय प्रताप ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसे अपमानित किया और जान से मरने तक की बात कही। इससे विजय प्रताप मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा। 15 दिसंबर 2024 को उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे सीएचसी रुधौली ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। विसरा जांच में जहर की पुष्टि हुई है। मृतक के पिता का यह भी आरोप है कि बेटे की मौत के बाद दबाव बनाने पर आरोपियों ने 95 हजार रुपये लौटाए और 16 लाख रुपये का एक चेक दिया, जो बाद में बैंक से अनादरित होकर वापस हो गया।

शराब घोटाला मामले में केजरीवाल,मनीष सिसोदिया बरी, जांच एजेन्सी को फटकार

नई दिल्ली (आभा)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए की एक अदालत ने दोनों नेताओं को कथित शराब नीति घोटाला मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा इस मामले में 21 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया। सीबीआई आम आदमी पार्टी (आप) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में हुई चूक के लिए संघीय जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, जबकि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता था। उन्होंने 'कुछ भ्रामक कथनों' पर जोर दिया और कहा कि विस्तृत आरोपपत्र में कई कमियां हैं जिनकी पुष्टि सबूतों या गवाहों से नहीं होती है।

न्यायाधीश सिंह ने कहा, '... आरोपपत्र में आंतरिक विरोधाभास हैं, जो साजिश की थ्योरी की जड़ पर प्रहार करते हैं।' उन्होंने कहा कि किसी भी सबूत के अभाव में केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप टिक नहीं सकते और पूर्व मुख्यमंत्री को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया है।

न्यायाधीश ने कहा कि यह कानून के शासन के प्रतिकूल था। सिसोदिया के संबंध में न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उनकी संलिप्तता को दर्शाता हो और न ही उनसे कोई बरामदगी की गई है।

आप प्रमुख ने आरोप लगाया कि यह पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने मिलकर रचा। उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र रचना। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। भाजपा उस ईमानदारी पर चोट करना चाहती थी।

शांतिपूर्ण, सौहार्द से मनाये त्यौहार सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । आगामी होली एवं जमात–उल–विदा (अलविदा)/रमजान का अन्तिम शुक्रवार त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कृतिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शान्ति समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहें। जिलाधिकारी ने कहा कि त्यौहार के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए साफ–सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन को दुरूस्त रखने के निर्देश दियें।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन सेवाए सक्रिय रखने, एंबुलेन्स एवं चिकित्सकीय टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। विद्युत विभाग को निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने तथा किसी भी तकनीकी समस्या के त्वरित समाधान के लिए टीमों को एलर्ट रखने को कहा गया। अग्निशमन विभाग को संभावित घटनाओं की रोकथाम हेतु पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद के संवेदनशील स्थलों की पहचान कर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जायेंगी। त्यौहारों के दौरान निरन्तर गश्त, सोशल मीडिया के मानीटरिंग एवं अफवाहों पर तत्काल नियंत्रण सुनिश्चित किया जायेंगा। उन्होने स्पष्ट किया कि शान्ति व्यवस्था भंग करने अथवा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेंगी। इस अवसर पर जनपद के संभ्रांत नागरिको एवं समिति के सदस्यों ने अपने–अपने सुझावों को साझा किया, जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

जिलाधिकारी व पुसिल अधीक्षक ने जनपदवासियों से अपील की गयी कि त्यौहार को परम्परागत, उल्लास एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाये तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन व पुलिस को दें। इस अवसर पर एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक श्याम कान्त, एसडीएम शत्रुघ्न पाठक, मनोज प्रकाश, हिमांशु कुमार, सत्येन्द्र सिंह, डीपीआरओ धनश्याम सागर, डीएसओ विमल कुमार शुक्ला, ईओ नगरपालिका अंगद गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, संबंधित क्षेत्राधिकारी पुलिस, विधायक प्रतिनिधि कप्तानगंज गुलाब चन्द्र सोनकर, हरैया के सरोज मिश्र, पत्रकार जगवीर सिंह, जयन्त मिश्रा, इमरान अली, जीशान हैदर रिजवी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

भारतीय कुर्मी महासभा का प्रदेश स्तरीय वैचारिक संगोष्ठी 1 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय कुर्मी महासभा द्वारा छत्रपति शिवाजी के 396 वें जन्मोत्सव अवसर पर आगामी 1 मार्च रविवार को दिन में 11 बजे से बाबू रामाधीन सिंह इण्टर कालेज लखनऊ निकट आई.टी.आई. के सभागार में प्रदेश स्तरीय वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह जानकारी देते हुये भारतीय कुर्मी महासभा जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में बस्ती से बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्यगण हिस्सा लेंगे।

प्रदेश स्तरीय वैचारिक संगोष्ठी में भागीदारी के लिये दीन बंधु ग्लोबल आई.टी.आई. सभागार में हुई बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष डा. वी. के. वर्मा के साथ ही आर.के. सिंह पटेल, प्रमोद चौधरी, मस्तराम वर्मा, राम दयाल चौधरी, विद्यासागर चौधरी, कृपाशंकर चौधरी, श्याम नरायन चौधरी, डा. आलोक रंजन वर्मा, अशोक चौधरी, बद्री प्रसाद चौधरी, ई. के.सी. चौधरी, अरविन्द चौधरी, अशोक वर्मा के साथ ही भारतीय कुर्मी महासभा के अनेक पदाधिकारी, सदस्य शामिल रहे।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज (आभा)। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अग्रिम जमानत की उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने फैसला रिजर्व रख लिया और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश सुनाए जाने तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। इस आदेश के बाद पुलिस फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हालांकि कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जांच में सहयोग करने को भी कहा है। अब सभी की नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले में अग्रिम जमानत की पोषणीयता पर बहस हुई। इसमें राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं। उनकी ओर से शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी दी गई। कोर्ट में इस मामले में दर्ज एफआईआर को भी पढ़ा गया। एक बच्चे के बारे में कहा गया कि वह मार्कशीट में बालिग है। उधर, शिकायतकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच हुई जिरह को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुनाया।

नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण, दिया निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अंकुर वर्मा के साथ कम्पनी बाग में निर्माणाधीन गुरू गोविन्द सिंह चौक और आवास विकास में सी.सी. रोड, नाली निर्माण का निरीक्षण किया।

नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाय। कहा कि चुनाव के समय नागरिकों से विकास के जो वायदे किये गये थे उसे चरणबद्ध ढंग से पूरा कराया जा रहा है। वार्डवार नालियों की सफाई, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था, सम्पर्क मार्ग के बेहतर प्रबन्ध कराये जा रहे हैं। उन्होने नागरिकों से आग्रह किया कि स्वच्छता अभियान और नगर पालिका क्षेत्र को स्वस्थ, सुन्दर बनाने की दिशा में योगदान और सुझाव दें।

निरीक्षण के दौरान सभासद परमेश्वर शुक्ल पप्पू के साथ ही गुड्डू पाण्डेय, अमृत पाल 'सनम', साहेब सचदेवा, अमरीक सिंह विक्की, दिलप्रीत सिंह, सत्य प्रिय मौर्या, हरप्रीत सिंह, जेई सिविल अर्पित गिगम, अंदिता श्रीवास्तव, हर्षित, सूरज गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव, विकम चौहान, अरूण त्रिपाठी, मोनू पाण्डेय, नीरज पाण्डेय, अर्पित श्रीवास्तव के साथ ही स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक युगांतरकारी कदम–संजय शुक्ल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल के निर्देशन में राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण के अंतर्गत दो बैचों में शिक्षक, एआरपी, डायट मेंटर और बीईओ सहित कुल 180 लोग प्रशिक्षित किए गए। शुक्रवार को दूसरे बैच में 105 प्रतिभागियों को डायट प्राचार्य द्वारा प्रमाणपत्र वितरित करके प्रशिक्षण का समापन किया गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए डायट प्राचार्य ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल परख का सामान्य प्रसार मात्र नहीं है, बल्कि यह देश की शैक्षिक गुणवत्ता को मापने के लिए आयोजित होने वाला एक वृहद और वैज्ञानिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। कहा कि परख सर्वेक्षण भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक युगांतरकारी कदम है। प्रशिक्षण के नोडल प्रवक्ता डॉ रविनाथ त्रिपाठी और सह नोडल प्रवक्ता शशि दर्शन त्रिपाठी ने श्परखश सर्वेक्षण के परिचय, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के साथ इसके अंतर्संबंधों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न सत्रों में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया और सर्वेक्षण को निष्पक्ष व सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर डायट प्रवक्ता डॉ गोविन्द, वंदना चौधरी, ऋचा शुक्ला, अलीउद्दीन खान, सरिता चौधरी, वर्षा पटेल, नवनीत कुमार, अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे।

दबंगों ने दलित युवक को मारा पीटा, मुकदमा दर्ज कराने पर दे रहे हैं धमकीः पीड़ित परिवार को न्याय, दोषियों के गिरफ्तारी की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दबंगों द्वारा दलित को मारने पीटने, मुकदमा दर्ज करा देने पर मुकदमा उठा लेने का दबाव बनाकर जान माल की धमकी देने का मामला सामने आया है। सरदार सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चौधरी बृजेश पटेल, भीम आर्मी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमलेश सचान सहित अनेक संगठनों ने जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र सी. आरओ. को देकर मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के परसा बोधी निवासी मंगेश्वर पुत्र ओम प्रकाश को न्याय दिलाने, दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के साथ ही परिवार के जान माल के रक्षा की मांग किया है। चेतावनी दिया कि यदि दबंगों के दबाव में न्याय न मिला तो आन्दोलन किया जायेगा।

परसा बोधी निवासी मंगेश्वर के चाचा धर्मेन्द्र कुमार ने डीएम और एसपी को दिये पत्र में कहा है कि वह जाति का चमार है। 18 फरवरी को उसका भतीजा मंगेश्वर नगहरा चौराहा स्थित आदर्श मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था कि लगभग 7 बजे शाम को के अंश दूबे, विकास दूबे पुत्रगण अनिल दूबे व अनिल दूबे पुत्र बृज भूषण प्रताप दूबे ने उसे लाठी, डण्डा व सरिया से लैस होकर बुरी तरह से मारा पीटा। मंगेश्वर का सर कई जगहों फट गया काफी खून बहने लगा। लोगो के बीच बचाव करने से उसकी जान बची। घटना की सूचना मुण्डेरवा थाने पर दिया गया। दबंगो ने पुलिस को अपने साजिश में रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं होने दिया और सुलह करने हेतु दबाव बनाने लगे। काफी प्रयास करने पर दूसरे दिन पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2). 352, 351(3), बी०एन०एस० व ३ (1) (द), 3(1) (ध). 3(2) (अं) एस०सी०एस०टी० एक्ट में थाने में दर्ज की गयी जिससे अंश दूबे आदि काफी नाराज हो गये और सुलह करने हेतु दबाव बनाते हुये जान मार डालने की धमकिया देने लगे। सुलह से इंकार करने पर उक्त अभियुक्त अनिल दूबे ने क्रास केस बनाने की नीयत से उनके भतीजे मंगेश्वर सहित 20–25 अज्ञात लोगो के विरूद्ध एक मुकदमा धारा–191(2), 115(2), 131, 352, 531 (2) बी०एन०एस० के तहत थाने में दर्ज करा दिया है। इससे उनका परिवार अनिल दूबे आदि के आतंक से भयभीत है और असुरक्षित महसूस कर रहा है। उक्त लोग उसके परिवार की हत्या कर व करवा सकते है। मांग किया कि प्रकरण में अंश दूबे, विकास दूबे पुत्रगण अनिल दूबे व अनिल दूबे पुत्र बृज भूषण प्रताप दूबे के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय।

–सरदार सेना, भीम आर्मी ने सौंपा पत्र

जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र सी.आरओ. को देने के दौरान मुख्य रूप से राम प्रकाश पटेल, बुद्धि प्रकाश एडवोकेट, तिलकराम गौतम, महिपाल पटेल एडवोकेट, अजय आजाद, मयंक चौरसिया, विनय चौधरी, ई. चन्द्रशेखर वर्मा, शिवशंकर चौधरी शाका, रामलौट, चन्द्रगुप्त मौर्य, संदीप निषाद,महेंद्र कुमार एडवोकेट, चांदनी गौतम, मूलचंद आजाद, आकाश पटेल, अनिल चौधरी देवरिया माफी, अशोक बौद्ध, अभिषेक चौधरी, राजा भैया, राम शंकर निराला, संदीप गोयल एडवोकेट, प्रशांत भारती एडवोकेट, रामचेत, अभय पटेल, रंजीत आजाद, विजय चौधरी, अतर सिंह गौतम, अरविंद, राहुल, हरिप्रसाद, बसंत चौधरी, राजा बाबू, सोहन, दीपक कुमार, अशोक प्रमात, विवेक ओबेरॉय, अंकुर गौतम, सुरेंद्र, पीके गौतम, रामबहोर, राजन कुमार, चन्द्र प्रकाश गौतम, आरके आनंद, शिवराम कनौजिया, सिद्धनाथ प्रजापति, अभिषेक चौधरी, वीरू चौधरी, रवि चौधरी, कल्लू, सुनील पटेल, अभय, सत्येंद्र चौधरी, अजीत यादव, सर्वेश, अनिरुद्ध चौधरी ,अंकुर पटेल, संतोष कुमार, शिव प्रताप वर्मा, डीके वर्मा, गौरीशंकर कनौजिया, अंकुर, राज नारायण, सोनू, रामसेवक बौद्ध, विजय, मंगल सिंह राव, अजय कुलश्रेष्ठ, शैलेंद्र चौधरी, अरुण राज, पवन कुमार आदि शामिल रहे।

टेट अनिवार्यता के विरुद्ध शिक्षकों ने बैठक कर बनाई संघर्ष की रणनीति

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक कार्य समिति की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में परसुरामपुर बीआरसी पर सम्पन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा ने बताया कि टेट अनिवार्यता के विरुद्ध संघर्ष हेतु देश और प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संगठनों ने एक मंच पर आकर राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय संयुक्त टीचर्स फेडरेशन एआईयूटीएफआई का गठन किया है। नव गठित संयुक्त मोर्चे ने टेट अनिवार्यता के विरुद्ध अपना आंदोलन कार्यक्रम घोषित किया है। जिसके अनुसार आगामी 9 से 15 मार्च तक भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ई मेल अथवा पोस्टकार्ड भेजा जायेगा। 13 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस एवं 03 मई 2026 को इको पार्क लखनऊ में धरना करते हुए विधानसभा तक मार्च किया जाएगा। सभी साथी उक्त आंदोलन में सक्रियता से शामिल हों।

संगठन के संयुक्त मंत्री विजय कनौजिया ने अपने संबोधन में कहा कि 04 मार्च 2026 को वर्तमान कार्यसमिति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसलिए समय से कार्यकारिणी का पुनर्गठन आवश्यक है। बैठक में उपस्थित शिक्षकों ने जिला कार्यकारिणी से अनुरोध पूर्वक प्रस्ताव किया कि शीघ्र ही ब्लॉक कार्यसमिति का निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव कराते हुए कार्यकारिणी का पुनर्गठन करें जिससे संगठन द्वारा निर्धारित आगामी संघर्षों में ब्लॉक की मजबूत भागीदारी हो सके।

–कार्यकारिणी का चुनाव कराने की मांग

उपाध्यक्ष पंच बहादुर यादव ने स्थानीय शिक्षक समस्याओं का मुद्दा उठाया। शिक्षकों ने 4 सूत्रीय ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा। बैठक को राज नारायण तिवारी,धर्मेन्द्र कुमार,प्रमोद वर्मा, हरिश्चंद्र यादव आदि ने भी संबोधित किया।

बैठक में अरविन्द पाण्डेय, ओम प्रकाश, सत्य प्रकाश पाठक, भरत राम,विनोद कनौजिया,लालता प्रसाद,संतोष मणि तिवारी,हरिमूर्ति चौधरी,महादेव, विवेकानंद वर्मा,शिव कुमार,बलराम वर्मा,राम सजीवन, राधेश्याम वर्मा,धनपाल यादव,रामपति कनौजिया,के.के. गौतम,संदीप वर्मा,अर्चना चौधरी,रोशन लाल,सूर्य नारायण तिवारी,प्रेम शंकर ,राम जीत वर्मा,दिलीप गुप्ता,पवन सिंह,चंदन सोनी, रविन्द्र वर्मा,अश्वनी यादव आदि शिक्षक एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 28 फरवरी 2026 शनिवार

सम्पादकीय

केजरीवाल, सिसोदिया को राहत

देश की राजधानी दिल्ली में शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार का मामला फिर सुर्खियों में आ गया। सीबीआई केस में अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त कर दिया है। इस फैसले से आप नेताओं में खुशी का माहौल है। दिल्ली की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त कर दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल रो पड़े।केजरीवाल ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों से भाजपा जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है।'

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए 27 फरवरी का दिन राहत लेकर आया। शराब घोटाले के मामले में कोर्ट ने उन्हें और उनके साथियों को बरी कर दिया। अब इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली की न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायपालिका की मजबूती के कारण ही देश सुचारू रूप से चलता है।

केजरीवाल के बरी होने पर अन्ना हजारे ने न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताया। उन्होंने कहा, 'हमारा देश भारत न्यायिक और सुरक्षा व्यवस्था की ताकत पर चलता है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद, जहां अलग–अलग दल, जातियां, धर्म और समुदाय हैं, यह न्यायपालिका के कारण ही व्यवस्थित रूप से चलता है। अगर न्यायपालिका न हो तो अराजकता और अशांति फैल जाए। अब जब अदालत ने फैसला दिया है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं हैं, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।'

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पिछले काफी समय से शराब घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। हालांकि, राजनैतिक रूप से संवेदनशील इस मामले पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 21 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। इस मामले में तेलंगाना जागृति की के. कविता को भी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तत्कालीन दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई आबकारी नीति के पीछे किसी भी व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा को साबित करने में विफल साबित रही है।

शराब घोटाले मामले में लगातार हमले झेल रहे केजरीवाल राहत मिलने के बाद पत्रकरों से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने काह,'मैं भ्रष्ट नहीं हूं। अदालत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 'कट्टर ईमानदार' हैं।" वहीं, दूसरी तरफ जेल की हवा खा चुके मनीष सिसोदिया ने भी फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस निर्णय से जनता का संविधान पर विश्वास दोबारा मजबूत हुआ है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भाजपा और उसकी एजेंसियों ने हमें बेईमान साबित करने की हर कोशिश की, लेकिन आज यह स्थापित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं।"

जबकि दूसरी आर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जेंट अपील दायर की है, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि आप के जीत के जश्न के बावजूद कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस प्रकरण का मूल रूप से पटाक्षेप कब तक होगा। बहरहाल दिल्ली में शराब नीति के मामले में जांच ऐजेन्सियों की पोल खोलकर रखकर दिया है। यदि यह सब कुछ सत्ता के लिये राजनीतिक दबाव में हुआ तो शर्मनाक है। आरोप लगाने से पूर्व एजेन्सियों को पुख्ता सबूत जुटाना ही चाहिये।

जब एक आईएएस का फैसला बना सामाजिक संदेश

–अखिल कुमार यादव–

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हाल ही में घटी एक घटना ने शिक्षा और प्रशासन के विमर्श को नई दिशा दे दी। जिले के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी साढ़े तीन वर्ष की बेटी का नामांकन सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराया। सामान्यतः यह एक निजी पारिवारिक निर्णय माना जा सकता था, लेकिन जिस सामाजिक और प्रशासनिक संदर्भ में यह कदम उठाया गया, उसने इसे एक व्यापक संदेश में बदल दिया। आज का भारतीय मध्यमवर्ग शिक्षा को लेकर अत्यंत सजग और प्रतिस्पर्धी है। माता–पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि अक्सर वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा निजी विद्यालयों की फीस में खर्च कर देते हैं। गांवों और कस्बों में भी यह धारणा गहरी हो चुकी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल निजी संस्थानों में ही संभव है। ऐसे समय में जब जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वयं अपनी संतान के लिए सरकारी व्यवस्था चुनता है, तो यह केवल एक दाखिला नहीं, बल्कि एक विचार का प्रतिपादन हैकृसरकारी संस्थान भी भरोसे के योग्य हैं।

आंगनबाड़ी केंद्र देश की एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना का आधार स्तंभ हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नई शिक्षा नीति में भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (म्ब्व्) को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जीवन के पहले छह वर्ष बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए निर्णायक होते हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी केवल पोषण वितरण केंद्र नहीं, बल्कि भविष्य की नींव गढ़ने वाले संस्थान हैं। फिर भी वास्तविकता यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर समाज में मिश्रित धारणाएं रही हैं। कई स्थानों पर आधारभूत सुविधाओं की कमी, संसाधनों का अभाव और निगरानी तंत्र की शिथिलता जैसी चुनौतियां सामने आती रही हैं। यही कारण है कि जिन परिवारों के पास विकल्प होता है, वे प्रायः निजी प्री–स्कूल की ओर रुख करते हैं। ऐसे माहौल में जब पुलकित गर्ग जैसे अधिकारी अपनी बेटी को आंगनबाड़ी में भेजते हैं, तो यह उस धारणा को चुनौती देता है कि सरकारी संस्थान केवल षविकल्पहीनष लोगों के लिए हैं। यह निर्णय एक और महत्वपूर्ण संदर्भ से जुड़ता है। वर्ष 2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक उल्लेखनीय आदेश में कहा था कि सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं। न्यायालय की भावना यह थी कि जब नीति–निर्माता और प्रशासनिक अधिकारी स्वयं सरकारी शिक्षा व्यवस्था का उपयोग करेंगे, तो उसकी गुणवत्ता सुधारने की दिशा में स्वाभाविक रूप से गंभीरता बढ़ेगी। यद्यपि इस आदेश के क्रियान्वयन को लेकर बाद में कानूनी और व्यावहारिक बहसें हुईं, लेकिन उसका मूल संदेश आज भी प्रासंगिक है जवाबदेही अनुभव से आती है, दूरी से नहीं।

चित्रकूट की इस घटना को उसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यदि जिलाधिकारी की संतान किसी आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित रूप से जाती है, तो स्वाभाविक है कि उस केंद्र की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साफ–सफाई, पोषण सामग्री की गुणवत्ता, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, बच्चों के बैठने की व्यवस्थाकृहर पहलू पर सतर्कता बढ़ेगी। कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि अब उनका कार्य सीधे–सीधे जिले के सर्वोच्च अधिकारी के परिवार से जुड़ा होगा।

कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक कदम कह सकते हैं, लेकिन प्रतीकों की अपनी शक्ति होती है। सामाजिक मनोविज्ञान में यह सिद्ध तथ्य है कि नेतृत्व का आचरण सामूहिक व्यवहार को प्रभावित करता है। जब शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति निजी विकल्प छोड़कर सार्वजनिक व्यवस्था पर भरोसा करता है, तो वह समाज को यह संकेत देता है कि सुधार संभव है और भरोसा उचित है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस एक दाखिले से उस आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था ष्चकाचकष होने की चर्चा होने लगी। आलोचक कह सकते हैं कि यदि किसी अधिकारी की संतान के कारण ही व्यवस्था सुधरती है, तो यह समानता के सिद्धांत के विपरीत है। परंतु इस तर्क का दूसरा पक्ष यह है कि यदि एक उदाहरण से सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसे व्यापक बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। उच्च न्यायालय की भावना भी यही थी कि जब अधिकारी स्वयं व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, तो सुधार केवल दिखावे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संरचनात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ेगा।

इस निर्णय का एक मानवीय पक्ष भी है। एक पिता के रूप में लिया गया यह निर्णय बताता है कि शिक्षा केवल भवन और ब्रांड का प्रश्न नहीं, बल्कि विश्वास और मूल्यों का विषय भी है। आंगनबाड़ी में बच्चे सामूहिक वातावरण में सीखते हैं, खेल–खेल में सामाजिकता विकसित करते हैं और स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखते हैं। ग्रामीण परिवेश में पले–बढ़े बच्चों के लिए यह सामुदायिक अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त, यह कदम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरक है। वर्षों से सीमित संसाधनों में काम कर रहीं ये कार्यकर्ता अक्सर उपेक्षा का अनुभव करती हैं। यदि प्रशासनिक नेतृत्व उनके कार्य पर सार्वजनिक रूप से भरोसा जताता है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बेहतर प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता और नियमित निरीक्षण के साथ यदि यह भरोसा जोड़ा जाए, तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होंगे।

समाज के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है। क्या हमने सरकारी संस्थानों को केवल इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वे ष्सरकारीष हैं? क्या हमने निजीकरण को गुणवत्ता का पर्याय मान लिया है? और क्या हम स्वयं उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं, जिसका उपयोग हम कमतर समझते हैं?

चित्रकूट की यह घटना इन प्रश्नों को पुनः जीवित करती है। यह याद दिलाती है कि सरकारी संस्थान जनता के कर से चलते हैं और उनका स्तर सुधारना सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक मिलकर इन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करें, तो शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन संभव है।

निस्संदेह, केवल एक दाखिले से पूरी व्यवस्था नहीं बदल जाती। लेकिन परिवर्तन की शुरुआत अक्सर छोटे, प्रतीकात्मक और साहसिक निर्णयों से ही होती है। जब नेतृत्व स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वह नैतिक अधिकार के साथ सुधार की मांग भी कर सकता है।

अंततः, यह घटना हमें उस मूल प्रश्न तक ले जाती है क्या हम अपने सार्वजनिक संस्थानों पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो यह भरोसा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दिखना चाहिए। पुलकित गर्ग का यह कदम उसी व्यवहारिक भरोसे का उदाहरण है।

जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अपनी संतान के भविष्य के लिए सरकारी व्यवस्था चुनता है, तो यह केवल एक प्रवेश–प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं होता यह विश्वास का पुनर्निर्माण होता है। और शायद इसी विश्वास से वह बदलाव जन्म लेता है, जिसकी प्रतीक्षा समाज लंबे समय से कर रहा है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की चर्चा के निहितार्थ

–डॉ. प्रियंका सौरभ–

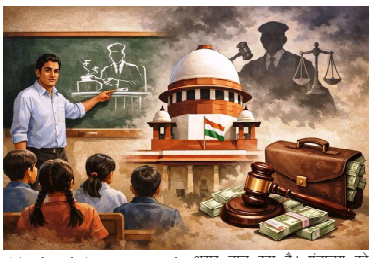

न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र का संरक्षक स्तंभ है, जो संविधान की रक्षा करता है और नागरिकों को न्याय का आश्वासन देता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा आठवीं की सोशल साइंस किताब पर सख्त रुख अपनाते हुए छपाई, वितरण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। किताब के श्हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिकाश अध्याय में श्न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचारश, लंबित मामलों की भारी संख्या, जजों की कमी और पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई के बयानों का उल्लेख था। सीजेआई सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की श्गहरी और सोची–समझी साजिशश करार दिया तथा शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। विवादित अध्याय के लेखकों की पहचान, उनकी योग्यता और सिलेबस फ्रेमिंग बैठकों की कार्यवाही प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यह घटना न केवल शिक्षा नीति पर सवाल उठाती है, बल्कि संस्थागत गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा के बीच संतुलन की बहस को जन्म देती है। क्या स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसी चर्चा गलत है? या यह समाज को सतर्क करने का माध्यम है?

भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(एक) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 19(दो) में उचित प्रतिबंध भी हैं, जिनमें न्यायालय की अवमानना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का कदम अवमानना अधिनियम 1971 के दायरे में आता है, जहां न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री दंडनीय है। कोर्ट ने तर्क दिया कि अध्याय चुनिंदीय (सेलेक्टिव) थाकृ न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का उल्लेख तो प्रमुख था, लेकिन विधायिका या कार्यपालिका पर ऐसा कोई जिक्र नहीं। लंबित मामलों को श्मैसिव बैकलॉगश कहना और जजों की कमी को चुनौती के रूप में पेश करना संस्था को कमजोर दिखाता है। पूर्व सीजेआई गवई के बयान का संदर्भ बिना पूर्ण संदर्भ के लिया गया, जो भ्रामक था। कोर्ट ने इसे श्डीप–फ्रूटेड कांस्पिरेसीश कहा, जो संकेत देता है कि यह केवल शैक्षणिक चूक नहीं, बल्कि सुनियोजित प्रयास हो सकता है। एनसीईआरटी द्वारा हाल में संशोधित पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री शामिल करना शिक्षा मंत्रालय की लापरवाही दर्शाता है। सिलेबस एक्सपर्ट कमिटी की बैठकों में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठे हैंकृक्या लेखक राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित थे? कोर्ट ने गहन जांच का भरोसा दिलाया है, जो स्वागतयोग्य है।

भ्रष्टाचार पर चर्चा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में 40ध्100 रहा, जो न्यायपालिका सहित संस्थाओं की चुनौतियों को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ब्रह्मावर्त हॉस्टल मामले या मेडिकल एडमिशन घोटालों में भ्रष्टाचार पर तीखी टिप्पणियां की हैं। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था कि श्ज्यूडिशियरी में भ्रष्टाचार का एक मामला भी पूरी संस्था को दागदार बनाता हैश लेकिन स्कूली किताब में इसे सामान्यीकृत कर पेश करना उचित नहीं। बच्चे 13–14 वर्ष के होते हैंकृउन्हें तथ्यपरक ज्ञान दें, न कि पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण। अध्याय जवाबदेही, शक्तियों के पृथक्करण और सुधारों (जैसे फास्ट–ट्रैक कोर्ट, जजों की भर्ती) पर केंद्रित होता तो उपयोगी होता। वर्तमान रूप में यह नकारात्मकता बोता है, जो युवा पीढ़ी में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही हैकृऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे।

एनसीईआरटी की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता–केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिएकृशिक्षाविद्, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचेकृ क्या वे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कॉपियां भी जब्त करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर अवमानना का मुकदमा चलेगा।

यह मामला व्यापक सुधारों की मांग करता है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एनजेएसी) को मजबूत बनाएं, जो जजों की नियुक्ति पारदर्शी करे। ई–कोर्ट प्रोजेक्ट को तेज करें, ताकि लंबित मामले घटेंकृवर्तमान 5 करोड़ से अधिक हैं। जजों की संख्या बढ़ाने हेतु विधायी सहमति लें। शिक्षा में भ्रष्टाचार को नैतिकता के अध्याय में शामिल करें, न कि संस्था–विशेष पर प्रहार के रूप में। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन संस्था की गरिमा सर्वोपरि। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सही दिशा में हैकृयह चेतावनी है कि शिक्षा भ्रष्टाचार नहीं बोएगी।

एनसीईआरटी को पाठ्यक्रम पुनरीक्षण कर तथ्यपरक, संतुलित सामग्री सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकारें पारदर्शिता बढ़ाएंकृआरटीआई से सिलेबस प्रक्रिया खुली हो। जनता जागरूक बने, क्योंकि मजबूत न्यायपालिका ही मजबूत भारत है। यदि भ्रष्टाचार पर चर्चा सुधार लाए, तो स्वागतयोग्यय अन्यथा यह साजिश मात्र। सुप्रीम कोर्ट की जांच से सत्य सामने आएगा, और शिक्षा प्रणाली मजबूत बनेगी। लोकतंत्र में संतुलन ही सफलता की कुंजी है।

बोतलबंद पानी का भारत

–डॉ. सत्यवान सौरभ–

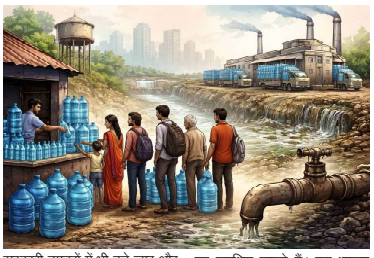

भारत में बोतलबंद पानी पर बढ़ती निर्भरता केवल उपभोक्ता व्यवहार में आए बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक जल प्रशासन में व्याप्त गहरी और बहुस्तरीय प्रणालीगत समस्याओं की ओर भी स्पष्ट संकेत करती है। कभी जो नल का पानी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी माना जाता था, वही आज अविश्वास, असुरक्षा और असमानता का प्रतीक बनता जा रहा है। शहरों से लेकर कस्बों और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी लोग पीने के लिए प्लास्टिक की बोतलों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाती है, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

आधुनिक भारत में जल संकट को अक्सर वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन या बढ़ती जनसंख्या से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बोतलबंद पानी की लोकप्रियता का मूल कारण इनसे कहीं अधिक गहरा है। असल समस्या यह है कि नागरिकों का भरोसा सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणालियों से लगातार टूटता जा रहा है। नलों से आने वाले पानी की गुणवत्ता पर संदेह, नियमित आपूर्ति का अभाव, और पारदर्शिता की कमी ने लोगों को वैकल्पिक स्रोतों की ओर धकेल दिया है। जब राज्य अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में असफल होता है, तब बाजार उस खाली स्थान को भर देता हैकृअक्सर मुनाफे की शर्तों पर।

शहरी भारत में बोतलबंद पानी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। महानगरों में तो यह लगभग जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है। कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी बड़े जार और बोतलें आम दृश्य हैं। यह स्थिति विडंबनापूर्ण है, क्योंकि इन्हीं शहरों में सबसे विकसित जल अवसंरचना होने का दावा किया जाता है। यदि इतनी सुविधाओं के बावजूद नागरिक सुरक्षित नल का पानी नहीं पी सकते, तो यह प्रशासनिक विफलता का सीधा प्रमाण है। पाइपलाइन की जर्जर हालत, सीवेज और पेयजल लाइनों का आपस में मिलना, तथा नियमित परीक्षण की कमीकृये सभी समस्याएँ वर्षों से ज्ञात हैं, लेकिन समाधान आधे–अधूरे ही रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग होते हुए भी उतनी ही चिंताजनक है। वहां बोतलबंद पानी का उपयोग अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जैसे–जैसे ग्रामीण बाजारों तक निजी कंपनियों की पहुंच बढ़ रही है, यह निर्भरता वहां भी बढ़ने लगी है। कई इलाकों में भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक या आयरन की अधिकता के कारण लोग स्थानीय जल स्रोतों से डरने लगे हैं। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सामुदायिक नल या हैंडपंप अक्सर या तो खराब रहते हैं या फिर उनका पानी पीने योग्य नहीं होता। ऐसे में जिनके पास आर्थिक क्षमता है, वे बोतलबंद पानी खरीद लेते हैं, जबकि गरीब तबके दूषित पानी पीने को मजबूर रहते हैं। यह स्थिति जल के क्षेत्र में गहरी असमानता को जन्म देती है।

बोतलबंद पानी उद्योग का विस्तार अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक ओर यह उद्योग "शुद्धता" और "सुरक्षा" का वादा करता है, वहीं दूसरी ओर इसके नियमन में गंभीर खामियां हैं। कई बार यह पाया गया है कि बाजार में उपलब्ध बोतलबंद पानी भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके बावजूद उपभोक्ता इसे नल के पानी से अधिक सुरक्षित मानते हैं। यह धारणा स्वयं में सार्वजनिक जल संस्थानों की साख पर सवाल है। यदि राज्य द्वारा प्रमाणित और नियंत्रित जल आपूर्ति प्रणाली पर नागरिक भरोसा नहीं करते, तो यह लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता के लिए भी खतरे की घंटी है।

पर्यावरणीय दृष्टि से बोतलबंद पानी पर निर्भरता अत्यंत विनाशकारी है। प्लास्टिक की बोतलें कचरे के पहाड़ में बदल रही हैं। पुनर्चक्रण की दर बेहद कम है और अधिकांश प्लास्टिक अंततः नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। इसके अलावा, बोतलबंद पानी के उत्पादन में भी भारी मात्रा में जल और ऊर्जा की खपत होती है। यानी जिस संसाधन की कमी की बात की जा रही है, उसी का अत्यधिक दोहन करके एक कृत्रिम समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विरोधाभास नीति निर्माताओं की अल्पकालिक सोच को उजागर करता है।

सार्वजनिक जल प्रशासन की समस्याएँ केवल तकनीकी नहीं हैंय वे संस्थागत और राजनीतिक भी हैं। जल प्रबंधन से जुड़े विभाग अक्सर संसाधनों की कमी, कुशल मानवबल के अभाव और आपसी समन्वय की समस्या से जूझते हैं। इसके अलावा, जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवा को राजनीतिक प्राथमिकता भी अक्सर नहीं मिलती। चुनावी घोषणाओं में बड़े बांध, नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं या स्मार्ट शहरों की बातें तो होती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जल आपूर्ति को सुधारने पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप, छोटी–छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्याएं वर्षों तक अनसुलझी रहती हैं।

निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति भी इस संकट को गहरा कर रही है।

धर्म के नाम पर जनहित के मुद्दों से भटका रही भाजपा –पल्लवी पटेल

संवाददाता–महराजगंज। प्रयागराज की सिराथू विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने कहा कि भाजपा समाज को धर्म के आडंबर में उलझाकर असली मुद्दों से भटका रही है। ऐसे में हमें सजग रहने की जरूरत है। लोकतांत्रिक ताकत को धर्म के नाम पर कमजोर नहीं होने देना चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल, शुक्रवार को महराजगंज जिले के घुघली विकासखंड अंतर्गत हरपुर महंत कुर्मी टोला में आयोजित अपना दल कमेरावादी जिला कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहीं थी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वालों को यह भी सोचना चाहिए कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम क्यों नहीं मिल पा रहा है। खेत से निकलने वाली फसल का मूल्य लगातार घट रहा है, जिससे किसान और गरीब वर्ग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि समाज को धर्म के आडंबर में उलझाकर असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। गरीब परिवार भी दिखावे के नाम पर पैसे खर्च कर देते है जबकि जरूरत बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य पर निवेश करने की है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे मेहनत से कमाए गए धन का सदुपयोग करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। बैठक में यूजीसी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीतियों का उल्लेख किया और उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे जातिगत शोषण और भेदभाव के मामलों को भी रेखांकित किया। संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाई जाए और गांव–गांव जाकर पार्टी की नीतियों को जन–जन तक पहुंचाया जाए।

पार्टी सामाजिक न्याय, शिक्षा और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच रामशिला पटेल, राष्ट्रीय सचिव आनंद हीरामन पटेल, प्रदेश महासचिव सीबी सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के परिचित हरपुर महंत निवासी गुलराज चौधरी के घर भी पहुंचीं और स्वजन से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। ग्राम प्रधान कानिंदी देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यवाहक जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष रमाशंकर पटेल समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गाजे बाजे के साथ निकली निशान यात्रा, खाटू श्याम बाबा के लगे जयकारे

संवाददाता–देवरिया। शुक्रवार को खाटू वाले श्याम प्रभु का 22 वां फाल्गुन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में भक्तों ने न्यू कॉलोनी स्थित दीनदयाल पार्क के हनुमान मंदिर से निशान यात्रा निकाली। अबीर गुलाल उड़ाते हुए श्याम प्रभु के भक्तों के जयकारे से पूरा शहर गूंजायमान हो उठा। जगह–जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। निशान यात्रा को देखते हुए सुबह से ही दीनदयाल पार्क पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हर कोई इस पावन यात्रा में शामिल होने के लिए उत्सुक था। सबसे पहले श्याम मंदिर के पुजारी रवींद्र पाठक ने निशान ध्वज का पूजन कराया।

उसके बाद श्री हनुमान मंदिर से घोड़े और बैंड बाजे के बीच निशान यात्रा निकली। अबीर गुलाल उड़ाते बैंड की धुन पर थिरकते श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। भगवान खाटू श्याम बाबा की दिव्य झांकी हर किसी का ध्यान खींच रही थी। निशान यात्रा जलकल रोड, मोतीलाल रोड, अमर ज्योति चौराहा, नई बाजार, मोहन रोड, पेड़ा गली, मालवीय रोड, तहसील चौराहा, कसया ओवर ब्रिज और पिंजरा गोशाला होती हुई श्याम मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान को छप्पन भोग अर्पित किया गया। इस दौरान अशोक कुमार अग्रवाल, कृष्ण मुरारी शर्मा, राहुल पोद्दार, सुशील खेतान, अजय गुप्ता व मनोज गुप्ता आदि मौजूद रहे।

पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत, परिजनों ने थाने में किया हंगामा

संवाददाता–बहराइच। गुरुवार की रात दुष्कर्म के आरोपी की रामगांव थाने में मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। चार थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। मामले मे थानाध्यक्ष और कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल, एक युवक की तरफ से रामगांव थाने में तहरीर दी गई है। इसमें कहा गया कि रामगांव निवासी उनके परिचित रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव 22 फरवरी को उनके घर पहुंचे। उन्होंने उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री से पहले छेड़छाड़ और फिर दुष्कर्म किया। मामले में थानाध्यक्ष ने गुरुवार की रात रामगोपाल को कुड़वा चौराहा स्थित मेडिकल स्टोर से पकड़ा। उसे थाने ले गए। थाने में उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने तबीयत खराब होने की बात कहकर रामगोपाल को उसके घर के सामने लाकर छोड़ दिया। परिजनों ने देखा तो रात 2.00 बजे शव लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां पर डॉक्टरों ने मृत होने की पुष्टि कर दी। इसके बाद आक्रोशित परिजन रात में ही शव लेकर थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। उन्होंने पुलिस पर जहर देकर व पीट करके हत्या करने की बात कही। रात में ही बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच गए। मौके पर भीड़ बढ़ती देख चार थानों की पुलिस बुलाई गई। सीओ पवन कुमार भी मौके पर पहुंचे। परिजन थानाध्यक्ष पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। सीओ पवन कुमार ने बताया कि परिजनों व अन्य लोगों को समझा–बुझाकर शांत कर दिया गया है। मृतक के पुत्र अनिकेत श्रीवास्तव की तहरीर पर थानाध्यक्ष गुरुसेन सिंह व थाने के अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली देहात, खैरीघाट और हरदी तथा रिसिया थाने की पुलिस को बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। निष्पक्ष विवेचना के लिए मामले की जांच रामगांव थाना से हटाकर कोतवाली देहात, बहराइच को स्थानांतरित कर दी गई है। पुलिस हिरासत में दम तोड़ने वाला रामगोपाल मेडिकल स्टोर चलाता था। परिजनों के मुताबिक, रात में पुलिस उसे कुड़वा मेडिकल स्टोर से ही पकड़कर ले गई थी।

नजरा खातून मौत मामले में आरोपी देवर गिरफ्तार

संवाददाता–गोंडा। जिले में नगर कोतवाली पुलिस ने नजरा खातून आत्महत्या मामले में आरोपी देवर शाहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। शाहबाज पर 28 वर्षीय भाभी नजरा खातून को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है। इस मामले में नजरा खातून के पति शाहरुख को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। आरोपी शाहबाज को कटहा घाट गजनी आरा मशीन के पास से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 24 जनवरी को हुई इस घटना के बाद से शाहबाज फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें लगी हुई थीं। घटना के तीन दिन बीत जाने के बावजूद नजरा खातून की सास, ससुर और देवरानी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये तीनों लगातार फरार चल रहे हैं। गोंडा नगर कोतवाली पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। मृतका के पिता आफताब हुसैन की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने पहले पति समेत पांच लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि होने के बाद, पुलिस अब आत्महत्या के लिए उकसाने के बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस को 24 जनवरी को सुसाइड करने से ठीक पांच महीने पहले का एक वीडियो भी मिला है, जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजरा खातून अपने पति और उनके परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही हैं।

एक ही रात दो मंदिरों का ताला तोड़कर चोरी

संवाददाता–देवरिया। मईल थाना क्षेत्र के दो गांव में स्थित मां दुर्गा के मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने गुरुवार की रात दान पात्र में रखे रुपये समेत आभूषण भी चुरा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। वहीं फोरेंसिक टीम ने पहुंच कर नमूना एकत्रित किया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मईल थाना क्षेत्र के बभनियांव व पड़री गजराज में मां दुर्गा का मंदिर है। दोनों मंदिरों में चोरहा के रहने वाले मिथिलेश मिश्रा पुजारी है। रात को दोनों मंदिरों से पूजा करने के बाद वह घर चले गए। सुबह जब मंदिर पर लोग पूजा करने पहुंचे तो अवाक रह गए। पड़री गजराज मंदिर से मां का चांदी का मुकुट, हार, करधन, चांदी का प्लेट समेत अन्य सामान गायब था। वहीं बभनियांव में सोने का लाकेट व अन्य आभूषण गायब था। जबकि दान पेटिका को तोड़कर उसमें रखा रुपया भी गायब था। यह बात जंगल में आग की तरह क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। घटना के पर्दाफाश की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। जांच के दौरान सीसी कैमरा बंद मिला। पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि घटना के पर्दाफाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

शिक्षक खुदकुशी प्रकरण में देवरिया की बीएसए को शासन ने किया निलंबित

संवाददाता–देवरिया। देवरिया जिले के गौरीबाजार विकास खंड के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन के शिक्षक के खुदखुशी प्रकरण में शासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया। डायट प्राचार्य अनिल कुमार को बीएसए का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अब प्रकरण के जांच अधिकारी संयुक्त शिक्षा निदेशक बनाए गए हैं। जनपदीय जांच समिति की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बीएसए के निलंबन की संस्तुति शासन को भेजी थी। कृशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में सहायक अध्यापक थे। वह गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के यहां रहते थे। 20 फरवरी की रात उन्होंने फंदा लगा कर जान दे दी थी। उन्होंने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइट नोट व वीडियो भी जारी किया था। शासन व जिला स्तरीय कमेटी की जांच में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव प्रकरण में दोषी पाई गई। जिसके बाद डीएम दिव्या मित्तल ने बीएसए के निलंबन के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी थी। शासन ने शुक्रवार को बीएसए को निलंबित कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिथिलता तथा लगभग एक वर्ष तक प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही गंभीर कदाचार की श्रेणी में आती है। बता दें कि इस प्रकरण में गोरखपुर के गुलहरिया थाने में बीएसए व पटल बाबू संजीव सिंह के विरुद्ध आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने का केस दर्ज है। डीएम दिव्या मित्तल ने निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा कि जनपद में प्रशासनिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नौरंगिया के बीडीओ को कमरे बंद कर बाहर फूंक दी सरकारी और निजी कार

संवाददाता–कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया विकास खंड में तैनात बीडीओ राम खेलावन राम के प्राइवेट आवास के कमरे को बाहर से बंद कर अराजक तत्वों ने गुरुवार की रात उनकी दो गाड़ियों को फूंक दिया। बीडीओ की सरकारी और निजी दोनों गाड़ियां जल गईं। बीडीओ के शोर मचाने पर पहुंचे लोगों ने उनके कमरे की कुंडी खोली। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बीडीओ ने नेबुआ नौरंगिया थाने में तहरीर सौंप कर अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। सीओ खड्डा ने पुलिस टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। बीडीओ राम खेलावन राम ने नेबुआ नौरंगिया पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया है कि सरकारी आवास के निर्माणाधीन होने के कारण ब्लॉक मुख्यालय कोटवा बाजार से करीब दो किलोमीटर दूर रामपुर खुर्द गांव निवासी प्रतिभा श्रीवास्तव पत्नी जगदीश लाल श्रीवास्तव के मकान में किराए पर रहते हैं।

रात को जब वह अपने कमरे में सो रहे थे, तो उन्हें रात करीब 12 बजे बाहर से शोर सुनाई दी। बाहर निकलने के लिए दरवाजे की कुंडी खोलने लगे, तो अराजक तत्वों ने बाहर से कुंडी बंद कर दी थी। ग्रामीणों की मदद से कमरे की कुंडी खोली गई। बाहर निकल कर देखा कि दोनों गाड़ियां धू धू कर जल रही थी। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह उन्होंने आग पर काबू किया, लेकिन तब तक उनकी सरकारी बोलेरो व निजी कार पूरी तरह जल चुकी थी। गाड़ियों के जलने के जगह पर दो प्लास्टिक की बोतलें मिली हैं, जिनमें से पेट्रोल की गंध आ रही थी। अराजक तत्वों ने पेट्रोल डालकर दोनों गाड़ियां फूंक दी हैं। रात में ही मौके पर नेबुआ नौरंगिया थाने के प्रभारी निरीक्षक ने पहुंच कर निरीक्षण किया। इसके बाद सीओ खड्डा भी मौके पर पहुंचे। घटना के बारे में बीडीओ से जानकारी ली। पुलिस ने बीडीओ की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक नेबुआ नौरंगिया चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस गई थी। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। बीडीओ के साथ हुई घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सख्त कार्रवाई होगी इस बारे में सीओ खड्डा वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वह मौके पर गए थे। अज्ञात के खिलाफ नेबुआ नौरंगिया थाने में केस दर्ज करा दिया गया है। बीडीओ से बातचीत की गई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र ही दोषियों का पता लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भारत–नेपाल सीमा पर 4 अवैध क्लीनिक सील

संवाददाता–बलरामपुर। पचपेड़वा क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा पर अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार शाम बड़ी कार्रवाई की। तीन अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों (एसीएमओ) के नेतृत्व में गठित टीमों ने जूड़ीकुइया चौराहे पर छापेमारी कर चार अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इसके साथ ही, एक पैथोलॉजी सेंटर संचालक को नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सील किए गए अस्पताल बिना आवश्यक पंजीकरण और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे थे। जांच के दौरान इन केंद्रों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ केंद्रों पर नियमों के विरुद्ध चिकित्सीय प्रक्रियाएं की जा रही थीं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता था। इस कार्रवाई का नेतृत्व अपर सीएमओ डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, डॉ. बीपी सिंह और डॉ. अजय शुक्ल ने किया। टीम ने शाद क्लीनिक एंड जच्चा बच्चा केन्द्र, अकबुन्निशा पॉली क्लीनिक एंड जच्चा बच्चा केन्द्र, एसके हेल्थ केयर एंड जच्चा बच्चा केन्द्र और सारा फ्रैंचर क्लीनिक को अवैध रूप से संचालित पाए जाने पर सील किया।

रंगभरी एकादशी से अयोध्या में प्रारंभ हुआ होली उत्सव

राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत ज्ञान दास जी महाराज के शिष्य संजय दास महाराज ने बताया कि आज से अयोध्या के मंदिरों में होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है अयोध्या के नागा साधु हनुमान जी का निशान लेकर के पंचकोसी मार्ग में पढ़ने वाले सभी मंदिरों में संतो को होली खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, और आज से एक सप्ताह तक अवध में होली खेली जाती है।सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेम दास जी महाराज के शिष्य महंत डॉ महेश दास जी महाराज ने बताया इस बार की होली अलौकिक और अद्वितीय है क्योंकि भगवान श्री रामलला भव्य मंदिर में विराज मान हो गये है। उन्होंने ने बताया कि हनुमान जी महाराज प्रभु श्रीराम के सेवक हैं और अयोध्या के राजा भी हैं इसलिए रंगभरी एकादशी से अयोध्या में होली का आगाज होता हैं और जब भक्तों के भगवान का श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं दर्शन देकर सबको सुख पहुंच रहे है, तो ऐसे में हम अयोध्या वासी राम जी के साथ हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं हम लोगों की खुशी और ही दुगनी हो गई है और इस बार की होली ऐतिहासिक अलौकिक होगी। इस दौरान पुजारी हेमंत दास, पुजारी रमेश दास, शिवम श्रीवास्तव सहित सैकड़ो की संख्या में नागा संत विराजमान थे और सभी ने निशान के साथ पंचकोसी परिक्रमा की और मंदिरों में होली खेली।

सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी के नागा साधुओं ने शाही निशान के साथ अयोध्या में खेली होली

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। श्रीरामनगरी अयोध्या में फागुन शुक्ल पक्ष की रंगभरी एकादशी पर सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के शाही निशान के साथ होली नागा संतो ने होली खेलकर होली की शुरुआत कर दी। आज से अयोध्या में 1 सप्ताह तक होली उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह लगभग 9 बजे सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी से हनुमान जी का निशान की पूजा अर्चना कर सिद्ध निशान को अयोध्या नगरी के पंचकोसी परिक्रमा के साथ पूरी रामनगरी को उत्सव के आगोश में खींच लाती है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष धर्म सम्राट महंत ज्ञान दास महाराज ने बताया कि रंगभरी एकादशी के दिन हनुमानगढ़ी के संत हनुमान जी के निशान के साथ देवताओं को होली खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं।

संकट मोचन सेवा के हुए हनुमानगढ़ी से निशान के साथ शोभायात्रा के रूप में संतों की टोली रामनगरी का भ्रमण करने निकली और मठ–मंदिरों में जाकर होली खेलने का निमंत्रण देती है। स्वर्ण, रजत एवं लौहदंड के साथ हनुमानजी का निशान कंधे पर ले भांति–भांति के वाद्य की धुन पर गीत गाते एवं अबीर–गुलाल की वर्षा करते युवा नागा साधु आगे बढ़ते हुए चुनिंदा मंदिरों से होती हुई रंगोत्सव की यात्रा अयोध्या नगरी के पंचकोसी परिक्रमा के साथ पूरी रामनगरी को उत्सव के आगोश में खींच लाती है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष धर्म सम्राट महंत ज्ञान दास महाराज ने बताया कि रंगभरी एकादशी के दिन हनुमानगढ़ी के संत हनुमान जी के निशान के साथ देवताओं को होली खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं।

अयोध्या में श्री रामायणवेला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न

शुभ मुहूर्त में विराजे माता जानकी के साथ प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। श्रीधाम अयोध्या में स्थित अयोध्या के श्री रामायणवेला मंदिर में शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भक्ति और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। शुभ घड़ी में ठीक दोपहर 12 बजे प्रभु श्रीराम, माता जानकी और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत संपन्न कराई गई। दक्षिण भारत से पधारे आचार्य श्री वेंकटेश भट्ट स्वामी के आचार्यत्व में पंचरात्रागम विधि द्वारा यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ।नवनिर्मित श्री रामायणवेला मंदिर में आयोजित इस भव्य समारोह का संयोजन श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश कल्पना आचार्य जी महाराज के निर्देशन में किया गया। महोत्सव में देशभर से संत–महंतों और विद्वानों की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से श्रीमद् जगतगुरु विद्याभास्कर स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित अनेक संतों ने सहभागिता की। इस अवसर पर जगतगुरु रत्नेशप्रपन्नाचार्य जी महाराज ने बताया कि 19 फरवरी से प्रारंभ हुए श्री रामायण मेला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उत्तर और दक्षिण भारत के विद्वानों ने वैदिक परंपरा के अनुसार अनुष्ठान संपन्न कराए। नौ दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, प्रवचन और भजन–कीर्तन आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।उन्होंने कहा कि आज से प्रभु श्रीराम, माता सीता और हनुमान जी भक्तों को दर्शन देकर उन्हें सुख और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मंदिर परिसर में जय श्रीराम के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर स्वयं को धन्य माना।महोत्सव के दौरान अयोध्या ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों से आए संत–महंतों ने अपने विचार व्यक्त किए और सनातन परंपरा की एकता पर बल दिया। आयोजन समिति के अनुसार शनिवार को संत सम्मान समारोह के साथ इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का विधिवत समापन होगा।

अदालती नोटिस

(प्रपत्र सं0–3)

न्यायालय– श्रीमान परिवार न्यायाधीश महोदय फैजाबाद

इजरा वाद सं0 8/2025

अन्जू

बनाम

अजय कुमार

श्रीमती अन्जू पत्नी अजय कुमार पुत्री स्वर्गीय रामकुमार निवासी म0न0 3/2/39 मुकेरी टोला नियांवा थाना कोतवाली नगर पोस्ट– सदर जिला अयोध्या – याची

बनाम– अजय कुमार पुत्र आनन्द किशोर उर्फ अर्जुन निवासी म0न0 3/2/39 मुकेरी टोला पोस्ट– सदर थाना कोतवाली नगर जिला अयोध्या

प्रत्यर्थी

सेवा में

चूंकि ऊपर निमिकत याची ने आपके विरूद्ध जैसा याचिका में दिया गया है। एक याचिका संस्थत की है।

(याचिका संलग्नक है)

आपसे इस सम्मतन के आपको तामील होने के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में स्वयं हाजिर होने या न्यायालय की अनुमति वकालतनामा दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है।

और चूंकि वाद को निवेश के लिए 05 दिवस 03 माह सन् 2026 का न्यायाधीश के कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

आपको एतद्द्वारा याची के दावे का उत्तर देने के लिए उक्त 05 दिवस 03 माह सन् 2026 को न्यायाधीश के समक्ष पूर्वान्ह 11 बजे उपस्थित होने के लिए सम्नन किया गया है। और सूचना दी जाती है पूर्व उल्लिखित दिनांक को पक्षों को जो उपस्थित हो सुनने के पश्चात् न्यायाधीश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के परामर्शदाता के समक्ष सुनवाई के दिनांक के सम्बन्ध में और याचिका से सम्बन्धित अन्य मामलों में निर्देश दिये जायेगे और अग्रेसर सूचना दी जाती है वकालतनामा दाखिल करने या आप उपस्थित में असफल रहते है तो याचिका को उसी दिन या किसी भी अनुवर्ती दिवस को अप्रतिवाकि के रूप में बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा और आपके विरूद्ध पारित किसी डिक्री या आदेश के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

साक्षी.....प्रधान न्यायाधीश.....

.....पूर्वोक्त, आज.....दिवस

माह 20.....

मुहरकर्ता

.....दिवस.....

माह 20.....

याची/याची के अधिवक्ता

पदाभिहित अधिकारी

हस्ताक्षर

परिवार न्यायाधीश महोदय

फैजाबाद

अदालती नोटिस

प्रारूप 7

(देखे नियम–11 (1)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना अदालत–श्रीमान जे0एम0/ एफ0 टी0 सी0 (सी0ए0डब्लू0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

इजरा घरेलू हिंसा परिवाद वाद सं0 897/2023

थाना–हर्रैया

जिला–बस्ती

श्रीमती रूमा सिंह

बनाम

राजेन्द्र प्रत्ताप सिंह उर्फ बब्लू सिंह आदि

1– राजेन्द्र प्रत्ताप सिंह उर्फ बब्लू सिंह पुत्र स्व० रणजीत सिंह 2–रणन्जय प्रताप सिंह पुत्र स्व० रणजीत सिंह 3–श्री राजेश्वरी सिंह पत्नी स्व० रणजीत सिह 4– शिखा सिंह पत्नी रणन्जय सिंह 5–रेखा सिंह पत्नी सुरेश सिंह 6– सुरेश सिंह पुत्र अज्ञात निवासीगण गाम जरौली थाना परसपुर जिला गोण्डा। 7– अनन्या सिंह पुत्री अरुणसिंह निवासी बहुवन मदार माझा थाना परसपुर जिला गोण्डा।

तारीख पेशी 20–03–2026

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा– 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषो) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्पत तारीख 20 मास 03 सन् 2026 को बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

न्यायालय–श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी अयोध्या जिला–अयोध्या

हरीफूल आदि

बनाम

शिवदुलारे

बनाम–1–ओम प्रकाश 2–सुरेन्द्र पाठक पुत्रगण शिवदुलारे 3–शंकर 4–प्रदीप पुत्रगण रामदुलारे 5–उमाकान्त 6–सुशील पुत्रगण राम अछैबर समस्त निवासीगण ग्राम–रजऊपुर परगना पश्चिम राठ तहसील मिल्कीपुर जिला–अयोध्या

तारीख पेशी 23–03–2026

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 03 के 23 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 2026 के माह 02 के 25 दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

न्यायालय–श्रीमान तहसीलदार महोदय सदर अयोध्या जिला–अयोध्या

प्रेम प्रकाश सिंह आदि

बनाम

सूर्यनाथ सिंह आदि

बनाम–1–महेश सिंह 2–महातम सिंह पुत्रगण शिवशंकर सिंह निवासीगण ग्राम– मदौली बुजुर्ग परगना अमसिन तहसील सदर जिला–अयोध्या

तारीख पेशी 18–03–2026

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 03 के 18 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 26 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

बेदखली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी विनोद कुमार पाण्डेय पुत्र सत्यनरायन पाण्डेय निवासी मोहल्ला चक्रतीर्थ थाना रामजन्मभूमि तहसील सदर जिला–अयोध्या का निवासी है, प्रार्थी का पुत्र रोहित पाण्डेय तथा पुत्रवधु शिल्पी पाण्डेय प्राथी के कहने सुसने में नही है रोहित पाण्डेय बराबर शराब पीकर प्रार्थी तथा उनके परिवार को मारता पीटता है व जूआ आदि भी खेलता है उसका आचरण परिवार व समाज के प्रति सही नहीं है काफी समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है इस कारण प्रार्थी ने रोहित पाण्डेय व उसकी पत्नी शिल्पी पाण्डेय को अपने परिवार व चल–अचल सम्पत्ति से हमेशा– हमेशा के लिए बेदखल कर रहा है उसके द्वारा नैकित व अनैतिक कार्य का स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रकाशन इसलिए करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आ सके।

सपा नेता मोईद खान डेढ़ साल बाद जेल से रिहा, गैंगरेप केस में कोर्ट से राहत

संवाददाता–अयोध्या। जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा कस्बे से जुड़े चर्चित दुष्कर्म एवं पॉक्सो प्रकरण में निरुद्ध समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोईद खान को अदालत से बरी होने के बाद आखिरकार जेल से रिहाई मिल गई। करीब डेढ़ वर्ष तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद वह अपने पैतृक घर भदरसा पहुंचे। उनके घर पहुंचते ही समर्थकों और शुभचिंतकों की भीड़ जुट गई, हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के जुलूस या सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं दी। मोइद खान पर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और वहीं से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने उन्हें आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि इसी मामले में उनके नौकर राजू खान को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में जमानत न मिलने के कारण उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल सकी। बाद में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई।

बहुमंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स अयोध्या जिला प्रशासन ने ढहा दिया था। साथ ही 3,000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित एक बेकरी भी ढहा दी गई थी। बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई उस समय भी चर्चा में थी।जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में काफी बयानबाजी हुई थी। समर्थकों ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया था, जबकि प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन के आधार पर की गई कार्रवाई कहा था।

फिलहाल भदरसा कस्बे में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी जारी रखी। उनकी रिहाई के बाद क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं इस मामले पर संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि 72 साल के बुजुर्ग मोईद खान को 19 महीने तक जेल में रखा गया, क्योंकि वह मुस्लिम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया। यहां तक कि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया। और केवल इसलिए ये सब किया गया ताकि आप अयोध्या का उप चुनाव जीत जायें। क्यूंकि आप लोग 2024 का चुनाव हारे थे। मैं अयोध्या की महान जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंगे कम्युनल राजनीति का समापन किया है।

दीवार से टकराई बेकाबू कार, तीन की मौत और तीन घायल

संवाददाता–संतकबीरनगर। शादी समारोह से लौट रहे कार हादसे का शिकार हो गई। शुक्रवार सुबह फंक्शन से लौटते समय अर्टिगा कार रोड साइड पड़ी गिट्टियों में जाकर फिसल गई और बेकाबू होकर पास लगे बिजली खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार करीब 180 डिग्री तक फिसलते हुए एक मकान की दीवार में घुस गई। हादसे में कार में सवार 6 में से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 3 भी घायल हो गए। वहीं कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई7 कार की बायें तरफ की बॉडी तो लगभग गायब हो गई। दोनों दरवाजे भी उखड़कर अलग हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि तीन घायलों में से एक को गंभीर हालत के चलते गोरखपुर रेफर कर दिया गया। शेष दो को मलहम–पट्ट्टी करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतकों में से दो छात्र थे और तीसरे की दो साल पहले ही शादी हुई थी। तीनों मृतक आसपास के गांव के रहने वाले थे और पक्के दोस्त थे। घटना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर और मेंहदावल तहसील से महज 200 मीटर की दूरी पर में बीएमसिटी मार्ग पर अछिया मोहल्ला के पास की बताई जा रही है।

मेंहदावल थाना क्षेत्र के बढ़या ठाठर निवासी सर्वेश पांडेय उर्फ पिंटू (23), पिंडारी कला निवासी दुर्गेश गुप्ता (25) और बिशनपुर निवासी श्रवण शर्मा (24) अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए शुक्रवार शाम निकले थे। कार में गांव के ही तीन और लोग भी सवार थे। सभी देर रात अर्टिगा कार से वापस घर की ओर लौट रहे थे। तभी रात करीब 3 बजे मेंहदावल थाना क्षेत्र के बीएम सिटी मार्ग पर अछीया मोहल्ले के पास रोड साइड पड़ी गिट्टियों में तेज रफ्तार कार फिसल गई। चालक ने कार पर नियंत्रण खो दिया। कार करीब 15 मीटर तक फिसलते हुए सड़क किनारे लगे एक बिजली पोल से जा टकराई। इसके बाद कार 180 डिग्री तक फिसलते हुए पास के एक मकान की दीवार में जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार की बाएं हिस्से की बॉडी पूरी तरह से गायब हो गई। दोनों दरवाजे भी उखड़कर अलग हो गए। कार के बायें हिस्से में बैठे सर्वेश, दुर्गेश और श्रवण की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली पोल से टक्कर का जोरदार धमाका सुनकर मोहल्ले के लोग बाहर निकल कर आ गए। देखा तो कार के अंदर लोग छटपटा रहे थे। सूचना पर मेंहदावल थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कार में फंसे सभी युवकों को बाहर निकालकर पहले सीएचसी मेहंदावल पहुंचाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृत घोषित होने के बाद सर्वेश, दुर्गेश और श्रवण के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। घायलों में शिवम पुत्र लालचंद्र निवासी बढ़या ठाठर को बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। जबकि इंद्रजीत यादव पुत्र मुन्नी, निवासी पिंडारी मेंहदावल और एक अन्य को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों का शवों को देखकर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने बताया– दुर्गेश की डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी। उसका 10 महीने का एक बेटा है। वहीं सर्वेश और श्रवण अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों अविवाहित हैं।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्न छात्रों पर भड़कीं नर्सें, इलाज पर संकट, फेडरेशन ने भी दी चेतावनी

संवाददाता–गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में इंजेक्शन ले जाने के मामले में गुरुवार को पुरुष नर्स और इंटर्न छात्र के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि इंटर्न ने अपने साथियों को बुलाकर मारा–पीटा। मामले में आक्रोशित महिला और पुरुष स्टाफ नर्सों ने उसी समय प्राचार्य कार्यालय पर पहुंचकर प्राचार्य को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। शुक्रवार को इस मामले ने तूल पकड़ लिया। शुक्रवार को सुबह से ही नर्सें बाबा राघव दास की प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। आंदोलन के चलते मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज बुरी तरह प्रभावित हो गया। वार्डों में डॉक्टरों के अलावा नर्सों की एक भी तैनाती नहीं बची। ज्यादातर नर्सें धरने पर बैठ गईं। इस आंदोलन को वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, क्लर्क समेत अन्य संवर्गों का भी समर्थन मिल गया। अन्य कर्मचारी भी सड़क पर उतर आए। इस घटना की गूंज अब लखनऊ–दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। इस मामले में राष्ट्रीय संगठन जुड़ने लगे हैं। ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्स फेडरेशन ने इस घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और अस्वीकार्य बताया है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज गुप्ता ने कहा कि यह घटना केवल एक नर्स के साथ हुई हिंसा नहीं है, बल्कि पूरे नर्सिंग समुदाय और स्वास्थ्य सेवा तंत्र की गरिमा पर सीधा आघात है। अस्पताल जैसे संवेदनशील और सेवा–समर्पित वातावरण में इस प्रकार की हिंसक मानसिकता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती।

मामला डॉक्टर बनाम कर्मचारी होता देख बीआरडी के प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने अवकाश रद्द कर शुक्रवार दोपहर एक बजे कैंपस पहुंचकर डैमेज कंट्रोल शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले बाब राघव दास की प्रतिमा के पास आंदोलनरत नर्सों से बात की। फिर घटना में शामिल इंटर्न को बुलाकर जानकारी ली। प्राचार्य दिल्ली में आईसीएमआर के विशेष प्रशिक्षण पर गए थे। उनके साथ मेडिसिन विभाग के डॉ. राजकिशोर सिंह भी थे। प्राचार्य शनिवार तक अवकाश पर थे। प्राचार्य ने अपना कार्यभार पैथोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ. शिल्पा वाहिकर को सौंपा था। गुरुवार दोपहर को शिक्षकों ने प्राचार्य को घटना की प्राथमिक सूचना दी। देर शाम समझौता वार्ता टूटने पर भी जानकारी दी गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद लखनऊ और दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। शासन ने प्राचार्य से रिपोर्ट मांगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तक बात पहुंची। शासन के निर्देश पर प्राचार्य पहली फ्लाइट से लौट आए। शुक्रवार को कैंपस में आते ही विभिन्न समूहों से वार्ता शुरू की। शुक्रवार को सदर एसडीएम और क्षेत्राधिकारी भी पहुंचे। प्राचार्य से बात कर लौट गए। कालेज में आंदोलन जारी है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों की परेशानी देखते हुए हर वार्ड में कम से कम एक सीनियर नर्स तैनात की। नर्सिंग स्कूल की छात्राएं मदद कर रही हैं। नर्सिंग स्टाफ के आंदोलन की वजह से शुक्रवार को भर्ती अपेक्षाकृत कम रही। ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज गुप्ता ने कहा कि अपनी ड्यूटी पर नर्सें दिन–रात मरीजों की सेवा में समर्पित रहती हैं। वे सीमित संसाधनों और अत्यधिक कार्यभार के बीच भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करती हैं। ऐसे में ड्यूटी पर कार्यरत एक नर्स के साथ मारपीट की घटना न केवल अमानवीय है, बल्कि कानून के शासन को भी चुनौती देने वाली है। ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सेस फेडरेशन यह स्पष्ट करता है कि दोषी इंटर्नों के विरुद्ध तत्काल कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए । प्रशासनिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी स्वास्थ्यकर्मी इस प्रकार की हिंसा का शिकार न बने। पीड़ित स्टाफ नर्स को सुरक्षा, सम्मान और न्याय मिलना अत्यंत आवश्यक है। यदि इस गंभीर मामले में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो फेडरेशन पूरे देश में व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की अपराह्न दो बजे महिला सर्जरी वार्ड नम्बर 4 में कार्यरत एक इंटर्न छात्र ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी सर्जरी में पहुंचकर बिना पूछे एक इंजेक्शन ले जाने लगा। इतने पर ड्यूटी पर तैनात पुरुष नर्स ने कहा कि अपने काम भर का सिरिंज में भरकर ले जाइए। आरोप है कि इतने पर इंटर्न आगबबूला होकर गाली देते हुए बोला कि पहचानते नहीं हो कौन हैं।

जमीनी विवाद में अधिवक्ता की पीट–पीटकर हत्या

संवाददाता–गोरखपुर। जल निकासी के विवाद में एडवोकेट की पीट–पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों के बीच पहले जमीन और नाली के पानी की निकासी को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों से लाठी–डंडे चलने लगे। विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट में घायल एडवोकेट को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई नीतीश सिंह (अधिवक्ता) और पिता सुनील सिंह भी इस हमले में घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं, दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति घायल है जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उपजिलाधिकारी प्रदीप सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ–साथ मामले की जांच की जा रही है।

मृतक की पहचान एडवोकेट अग्निवेश सिंह के रूप में हुई है। बांसगांव क्षेत्र के नाली के पानी के निकासी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई। उनके भाई नीतीश सिंह भी वकील हैं। भाई नीतीश ने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने अग्निवेश को घेरकर बेरहमी से पीटा। उनकी पीट–पीटकर हत्या कर दी। अग्निवेश के साथ–साथ उनके पिता सुनील सिंह और भाई नीतीश सिंह भी मारपीट में चोटिल हो गए। हालांकि, डॉक्टरों ने बताया है कि पिता और भाई की स्थिति अब खतरे से बाहर है। अग्निवेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी नाली को लेकर कहासुनी हुई थी। बातचीत करके मामला सुलझा लिया गया था। लेकिन आज मामले ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से लाठी–डंडे और धारदार हथियार निकल आए। मारपीट में दूसरे पक्ष को भी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष के सौरभ सिंह पुत्र संजय सिंह झड़प के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

अदालती नोटिस

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा

प्रकीर्ण उत्तराधिकार वाद संख्या 22 /2026

न्यायालय–सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर

1–यासमीन खान उम्र करीब 36 वर्ष पुत्री स्व0 अशफाक 2–जावेद खान उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र स्व0 अशफाक 3–परवेज खाँ उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र स्व0 अशफाक निवासीगण मोहल्ला राजेन्द्र नगर, नगर पालिका परिषद बांसी तप्पा कुदारन, परगना–बांसी पूरब, तहसील–बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर 4–अमरीन खानम उम्र करीब 48 वर्ष पत्नी उसमान पुत्री स्व0 अशफाक निवासी मोहल्ला–राजेन्द्र नगर, नगर पालिका परिषद बांसी, तप्पा कुदारन, परगना–बांसी पूरब, तहसील–बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर हाल पता ग्राम–गड़वल, तप्पा–गणेशपुर, परगना नगर पूरब, तहसील–बस्ती सदर, थाना–वाल्टरगंज, जिला–बस्ती 5–शबनम खानम उम्र करीब 45 वर्ष पत्नी जावेद खान पुत्री स्व0 अशफाक निवासी मोहल्ला राजेन्द्र नगर, नगर पालिका परिषद बांसी तप्पा कुदारन, परगना–बांसी पूरब, तहसील बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर हाल पता मोहल्ला तोपखाना, कस्बा–नानपारा, तप्पा–गहसड, तहसील नानपारा, जिला बहराइच

–प्रार्थी/आवेदक

बनाम

ईस्टेट आफ कैसरजहॉ

विपक्षी

तारीख पेशी– 25.03.2026

प्रा0 पत्र अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

अपने माता मृतक कैसरजहॉ को देय ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति के लिये सन 1886 ई0 के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।

चूंकि ने प्रमाण पत्र को अभिप्राप्ति के लिये आवेदन दिया है और सन 2026 के 03 के 25 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उद्घोषणा निकाली जाती है कि जिस किसी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपत्ति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा ..10 बजे पूर्वान्ह न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप संजात होकर अपनी आपत्ति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।

2026 के 02 के 27 दिवस को दिनांकित।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला बस्ती

वाद सं0– 955/2025

हरिश्चन्द्र आदि

बनाम

कु0 रीना आदि

1. कु0 रीना पत्नी आनन्दप्रिय गौतम मौजा वानगढ़ तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील वो जिला बस्ती (प्रतिवादी प्रथम वर्ग)

2. श्रीमती इन्द्रावती पत्नी प्रकाश भारती मौजा लटियावासचक रहमतुल्ला जिला–सिद्धार्थनगर 3. श्रीमती संघमित्र पत्नी आनन्दप्रिय गौतम मौजा वानगढ़ तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील वो जिला बस्ती

(प्रतिवादी द्वितीय वर्ग)

4. अर्जुन पुत्र रामशरन मौजा वानगढ़ तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील वो जिला बस्ती

(प्रतिवादी तृतीय वर्ग)

तारीख पेशी 25–04–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 25 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला बस्ती

वाद सं0– 320/2025

जयप्रकाश

बनाम

देवप्रकाश पाण्डेय आदि

1–देवप्रकाश पाण्डेय पुत्र स्व0 राम उजागिरि पाण्डेय 2–अभिषेक पाण्डेय 3– ऋषभ पाण्डेय 4. हरिओम पाण्डेय पुत्रगण देवप्रकाश पाण्डेय साकिनान मौजा कूढ़ा पट्टी दरियांव तप्पा कूढ़ा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 03–04–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 03 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला बस्ती

वाद सं0– 97/2025

रामदीन

बनाम

राजेन्द्र

1–राजेन्द्र उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र नयन साकिन बनगवां, तप्पा कपरी महसो. परगना महुली पश्चिम, तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 06–03–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 03 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला बस्ती

वाद सं0– 139/2024

नन्द कुमार

बनाम

बिन्दु देवी आदि

1–बिन्दु देवी उम्र लगभग 50 वर्ष पत्नी स्व0 विजय कुमार 2–अभिषेक उम्र लगभग 23 वर्ष 3–कुनाल उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्रगण स्व0 विजय कुमार 4–देवेन्द्र कुमार उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र दुधईराम निवासीगण साकिन–कैंतहा, तप्पा–कपरी महसो, परगना–महुली पश्चिम, तहसील व जिला–बस्ती।

तारीख पेशी 01–04–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 01 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला बस्ती

वाद सं0– 335/2025

हकीकुल्लाह खान

बनाम

मोहम्द इलियास खान आदि

1– मोम्मद इलियास खान उम्र लगभग 72 वर्ष पुत्र स्व0 नम्बरदार खान साकिन मुरादपुर, तप्पा–डीही, परगना–महुली पश्चिम, पोस्ट–खोरिया बाजार, तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादी प्रथम वर्ग

2– मजीबुल्लाह खान उम्र लगभग 68 वर्ष पुत्र स्व0 नम्बरदार खान साकिन मुरादपुर, तप्पा–डीही, परगना–महुली पश्चिम, पोस्ट–खोरिया बाजार, तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 13–04–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 13 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला बस्ती

वाद सं0– 24/2022

ओम प्रकाश

बनाम

बालमुकुंद आदि

1–बालमुकुंद पुत्र गब्बूलाल वादव 2–श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री बालमुकुंद 3–श्रीमती इंद्रावती देवी पत्नी श्री अभिमन्यु यादव 4–श्रीमती धूपकला देवी पत्नी राम स्वास्थ निवासीगण ग्राम पिपरपाती मुस्तहकम, तप्पा कुदरहा, परगना महुली पश्चिम, तहसील व जिला बस्ती

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

5–बंशीलाल 6–हीरालाल पुत्रगण स्वर्गीय नरगू 7–हुबलाल 8–छविलाल पुत्रगण स्वर्गीय बुद्ध निवासी ग्राम पिपरपाती मुस्तहकम, तप्पा कुदरहा, परगना महुली पश्चिम, तहसील व जिला बस्ती

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

9–शिवप्रसाद 10–संतराम 11–राम नवल 12–चंद्रप्रकाश पुत्रगण स्वर्गीय रामफेर

13–राममिलन पुत्र स्वर्गीय डेवा निवासी ग्राम पिपरपाती मुस्तहकम, तप्पा कुदरहा, परगना महुली पश्चिम, तहसील व जिला बस्ती

–प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 07–04–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 07 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

व्यवहार वाद संख्या 385 / 2019

न्यायालय– श्रीमान अपर सिविल जज (सी0डि0) स्थान–बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

नागेश्वर नाथ शिव मंदिर द्वारा सर्वराकार शिवेन्द्रनाथ मिश्र

बनाम

दीपक अवस्थी आदि

1. दीपक अवस्थी वालिग 2. ज्ञानशंकर अवस्थी वालिग 3. भानूशंकर अवस्थी वालिग पुत्रगण स्व० रविशंकर अवस्थी निवासीगण ग्राम व पो० लखीमपुर परगना खीरी तहसील लखीमपुर खीरी जिला खीरी

तारीख पेशी 21–04–2026

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **21–04–2026** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजा